भारत 5 रु. पाँच रुपये INDIA Rs.5 FIVE RUPEES

न्यायालय श्रीमान सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र

निगरानी – 2584/2018/देवास/भू.रा. नि.रा.प्र.क्र............/17-18 निगरानी

मांगीलाल पिता दरियावसिह

निवासी 181 टेलीफोन नगर इन्दौर

कृषक ग्राम जंगीपुर तह सोनकच्छ जिला देवास म.प्र ...प्रार्थी

विरूद्ध

मदनलाल पिता दरियावसिंह ,

निवासी ग्राम बडी चुरलाय

तह एंव जिला देवास म.प्र

कृषक ग्राम जंगीपुर तह सोनकच्छ जिला देवास म.प्र ...प्रतिप्रार्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भु.रा.सहिता के अन्तर्गत

माननीय महोदय,

अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण क्र. 639/अपील/2014–15 न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन आदेश दिनांक 13.03.2016, गलत अंकित है इसे 2018 पढा जाए, मांगीलाल विरूद्ध मदनलाल में पारित आदेश से असंतुष्ट होकर यह निगरानी अवधि में पेश है::–

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/देवास/भू.रा/2018/2584

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-6-18	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-3-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन नामान्तरण आदेश आपसी सहमति के आधार पर विधिक रूप से पारित किया गया है जिसे दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा स्थिर रखने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। अत: अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	